न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 61 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।	**बनाम**	1.पाबूदान पुत्र शंकरदान पुत्र उम्र 70 वर्ष 2.प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामदान 3.मांगूदान पुत्र श्री पाबूदान जाति चारण निवासी सांगड़ तहसील फतेहगढ

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 68 / 2007 बनवान पाबूदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सांगड़ के खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम सांगड़ के खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू-प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.2014 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई जो समरी की भूमि से अधिक है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि मौजा सांगड़ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में स्थित है, जिसके समरी खसरा संख्या 15 रकबा 115.00 बीघा किस्म बारानी वादी भंवदान वगैरा साहदेह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। स्थाई बन्दोबस्त की पैमाईश सम्वत 2021–22 में की गई समरी बन्दोबस्त के आधार पर ही राजस्व रेकर्ड तैयार किया गया और मौके पर नक्शे आदि बनाए गए तथा पैमाईश की गई तत्समय भी वादी/रेस्पोडेंट पाबूदान पुत्र श्री शंकरदान द्वारा अपने उक्त खसरा की पैमाईश करवाई गई थी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा स्थाई बन्दोबस्त में वादी/रेस्पोडेंट के नाम हाल खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा किस्म बारानी भूमि का खातेदारी में इन्द्राज कर पर्चा लगान दिया तथा वर्तमान खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा में कोई कारण दर्शित किए बिना तथा वादी/रेस्पोडेंट को सक्षम न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिए बिना रेस्पोडेंट/वादी की खातेदारी भूमि को काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया। रेस्पोडेंट/वादी का मौके पर कब्जा काश्त है। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। कि समरी बंदोबस्त में मामले में पक्षकारों से जुड़ी आराजीयात की पर्चा खतौनी देखने पर उसमे दर्ज खसरों की भूमि भंवरदान, खेतदान, भेरदान, करणीदान पिता कुशलदान 1/2 शंकरदान वल्द केशरदान 1/2 की खातेदारी में दर्ज थी। स्थाई बंदोबस्त में इस भूमि के विरूद्ध जारी परन्तु प्रस्तुत पर्चा लगान मुताबिक भंरदान पुत्र कुशलदान को कुल 07 खसरों में 576.17 बीघा भूमि, खेतदान पुत्र कुशलदान को कुल 04 खसरों में 419.01 बीघा भूमि मिलना स्पष्ट होता है। रिकॉर्ड पर भंवरदान तथा खेतदान के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों के आधार पर भी इनके शेष दो भाईयों भेरदान व करणीदान को भी स्थाई बंदोबस्त में 450–450 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि समरी बंदोबस्त में दर्ज भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदारों भंवरदान, खेतदान, भेरदान व करणीदान को कुल मिलाकर लगभग 1895 बीघा भूमि स्थाई बंदोबस्त में खातेदारी में मिली। शेष 1/2 हिस्से में शंकरदान वल्द केसरदान के हिस्से में तदनुसार लगभग 900 बीघा भूमि दर्ज होनी स्वाभाविक है परन्तु हस बाबत वादी/रेस्पोडेंट द्वारा वाद–पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अभाव में वादी द्वारा धारित कुल भूमि का कोई निर्धारण नहीं होता है इसलिए भूमि धारण की अधिकतम सीमा के विधिक प्रावधानों की दृष्टि से भी दावा का परीक्षण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर करना नहीं पाया जाता है। बिना तहकीकात वादी का वाद–पत्र मान लेने का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में वर्णित समरी के खसरा संख्या 15 रकबा 115 बीघा (EXP-1 व EXP-10) पर खातेदारी का दावा किया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वह गत बंदोबस्त के कॉलम में कृषक के नाम में "भंवरदान वगैरह अंकित है न कि शंकरदान वगैरह"।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसी कारण से इस प्रविष्टि को काटकर बिला नाम दर्ज करने का निर्णय स्थाई भू–प्रबंध के वक्त लिया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी संवत 2019 से 33 (EXP-12 से EXP-15--) के अनुसार दावाकृत खसरा संख्या 15 रकबा 115 बीघा में काश्तकार रूप में उपरोक्त चारों भंवरदान, खेतदान, भेरदान, करणीदान पुत्र कुशलदान 1/2 तथा वादी शंकरदान पुत्र केसरदान 1/2 स्पष्ट दर्ज है परन्तु दावे में अन्य दर्ज सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में भंवरदान व खेतदान के प्रस्तुत शपथ–पत्र में किये गए कथन असत्य है कि "वर्तमान खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा पाबूदान पुत्र शंकरदान को मिला था जो स्थाई बंदोबस्त में पाबूदान के नाम में खातेदारी में दर्ज किया था।" इतना ही नहीं वादी पाबूदान के स्वकथनानुसार वे 5 भाई है परन्तु उन्हें भी पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया है और न ही इसका कोई सकारण जिक्र दावे में किया गया है। इस रूप में वादी का दावा सद्भाविक ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने जबावदावा प्रस्तुत होने के बावजूद भी तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबावदावा के पैरा 10(ब) "कि वादी का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है वक्त बंदोबस्त से आज दिन तक वादग्रस्त भूमि सरकार कब्जे में रही है", तनकी का मुख्य निर्धारण करना था परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई भी सबूत वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं हुआ जो उनका वादग्रस्त भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त साबित कर पाता हो। प्रस्तुत प्रदर्श (EXP-2) अनुसार संवत 2062 में पहली बार वादी पाबूदान का वादग्रस्त खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा भूमि में केवल 25 बीघा गवार काश्त दर्ज कर अतिक्रमण पाया जाता है, साथ ही इसी वर्ष मूलदान पुत्र शंकरदान (वादी के सगे भाई) की भी फसल नीलामी की रसीद अभिलेख पर है फिर भी मूलदान पक्षकार नहीं हैं।

पत्रावली पर दिनांक 24.01.2011 को एक प्रार्थना–पत्र वादी को साक्ष्य हेतु पुनःअवसर प्रदान करने का पेश हुआ है जिसमें हस्ताक्षर "किसनदान" ने किये है न कि वादी ने। वादी साक्ष्य में वादी पाबूदान पुत्र शंकरदान से पूर्व एक प्रथम गवाह माझीखां (EXP-1) का शपथ–पत्र है जिसमें जिरह में वह स्वीकार करता है कि "वादी के खसरा संख्या की मुझे जानकारी नहीं है।" वादी पाबूदान पुत्र शंकरदान (EXP नंबर अंकित नहीं) के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर "किसनदान" के स्पष्ट दृष्टिगोचर है जिन्हे कांट–छांट कर छिपाने की कोशिश की गई है। वादी पक्ष के गवाह के शपथ–पत्र कम्प्यूटर पर साईक्लोस्टाइल–टाईप में टंकित किये हुए है जिनमें मौलिकता का अभाव है। चार गवाहों के शपथ–पत्र के पैरा 2 में अभिलेख पदर्श–1 से 19 उल्लिखित किया गया है। गवाह वनणदान पुत्र मेघूदान का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

शपथ–पत्र जो अन्य गवाहो के प्रस्तुत शपथ–पत्रों के प्रारूप की मात्र फोटों कॉपी है। साक्षी किशनदान (वादी का पुत्र) जिरह मे स्वीकार करता है कि "मेरा खसरा संख्या मुझे याद नहीं है, खसरा परिवर्तनशील के बारे में मुझे पता नहीं है। इस कारण साक्षी किशनदान विश्वसनीय नहीं है। दावाकृत खसरा संख्या 111 रकबा 106.12 बीघा भूमि पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मुताबिक (जमाबंदी संवत 2067–70) पूर्व में भी निर्णय से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के फलस्वरूप अमल दरामद हो चुके है, जिसकी जानकारी वादी को थी परन्तु उसकी ओर से इस बाबत कोई उज्र एतराज पेश होना रिकॉर्ड पर नहीं है।

अतः समग्र रूप से उपरोक्त विवेचानुसार वादी/रेस्पोडेंट का दावा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर साबित नहीं होता है। लिहाजा खारिज किये जाने योग्य और अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायाल सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2007 बनवान पाबूदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 को खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

17/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner